न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00287RAAJodhpur2020-114RTA223 Goparam Vs Lrs of Jetharam etc
2020-00288RAAJodhpur2020-115RTA223 Goparam Vs Lrs of Jetharam etc

गोपाराम पुत्र स्व. श्री जेठाराम, जाति घांची, निवासी- बड़ला नगर, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. जेठाराम पुत्र श्री कालूराम घांची के कायम मुकामः -
   1.1. जीवाराम पुत्र स्व. श्री जेठाराम
   1.2. मेथी देवी पत्नी स्व.जेठाराम
   1.3. रेशमी पुत्री स्व. जेठाराम
   1.4. चम्पा पुत्री स्व. जेठाराम
2. आयचुकी पत्नी श्री मोहनराम
   सभी जाति घांची, निवासी- बड़ला नगर, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. पताराम पुत्र श्री कालूराम
4. गौतम पुत्र स्व. मोहनराम
5. रमेश पुत्र स्व. मोहनराम
6. मंजु पुत्री स्व. मोहनराम
7. संगीता पुत्री स्व. मोहनराम
8. सुमित्रा पुत्री स्व. मोहनराम
9. भंवराराम पुत्र श्री कालूराम के कायम मुकामः -
   9.1. हेमाराम पुत्र स्व. भंवराराम
   9.2. बाबूलाल पुत्र स्व. भंवराराम
   9.3. नारायणराम पुत्र स्व. भंवराराम
   9.4. दाखु पुत्री स्व. भंवराराम
   9.5. श्रीमती मेथी पत्नी स्व. भंवराराम
10. ओमाराम पुत्र स्व. भंवराराम के कायम मुकामः -
    10.1. दिनेश पुत्र स्व. ओमाराम
    10.2. अशोक पुत्र स्व. ओमाराम
    10.3. गुडिया पुत्री स्व. ओमाराम
    10.4. इन्द्रा पुत्री स्व. ओमाराम
    10.5. प्रर्मिला पुत्री स्व. ओमाराम
    10.6. श्रीमती धापु पत्नी स्व. ओमाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी जातियान् घांची, निवासीगण- बड़ला नगर, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय लूणी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09 दिसंबर 2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 84/2016 श्रीमती आयचुकी बनाम जेठाराम के कायम मुकाम इत्यादि

उपस्थित-

श्री पवन रांकावत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री अमरसिंह चौधरी,अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक

श्री जयदेवसिंह चारण, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार व पांच

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या ग्यारह

(2)2020-00288RAAJodhpur2020-115RTA223 Goparam Vs Lrs of Jetharam etc

गोपाराम पुत्र स्व. श्री जेठाराम, जाति घांची, निवासी- बड़ला नगर, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. जेठाराम पुत्र श्री कालूराम घांची के कायम मुकामः -
   1.1. जीवाराम पुत्र स्व. श्री जेठाराम
   1.2. मेथी देवी पत्नी स्व.जेठाराम
   1.3. रेशमी पुत्री स्व. जेठाराम
   1.4. चम्पा पुत्री स्व. जेठाराम
2. आयचुकी पत्नी श्री मोहनराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी जाति घांची, निवासी- बड़ला नगर, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

3. पताराम पुत्र श्री कालूराम
4. गौतम पुत्र स्व. मोहनराम
5. रमेश पुत्र स्व. मोहनराम
6. मंजु पुत्री स्व. मोहनराम
7. संगीता पुत्री स्व. मोहनराम
8. सुमित्रा पुत्री स्व. मोहनराम
9. भंवराराम पुत्र श्री कालूराम के कायम मुकामः -
   9.1. हेमाराम पुत्र स्व. भंवराराम
   9.2. बाबूलाल पुत्र स्व. भंवराराम
   9.3. नारायणराम पुत्र स्व. भंवराराम
   9.4. दाखु पुत्री स्व. भंवराराम
   9.5. श्रीमती मेथी पत्नी स्व. भंवराराम
10. ओमाराम पुत्र स्व. भंवराराम के कायम मुकामः -
   10.1. दिनेश पुत्र स्व. ओमाराम
   10.2. अशोक पुत्र स्व. ओमाराम
   10.3. गुडिया पुत्री स्व. ओमाराम
   10.4. इन्द्रा पुत्री स्व. ओमाराम
   10.5. प्रर्मिला पुत्री स्व. ओमाराम
   10.6. श्रीमती धापु पत्नी स्व. ओमाराम

   सभी जातियान् घांची, निवासीगण- बड़ला नगर, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय लूणी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18 सितंबर 2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 84/2016 श्रीमती आयचुकी बनाम जेठाराम के कायम मुकाम इत्यादि

उपस्थित-

श्री पवन रांकावत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री अमरसिंह चौधरी,अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक
श्री जयदेवसिंह चारण, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार व पांच

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या ग्यारह

नि र्ण य

दिनांक : 23 जनवरी 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 84/2016 श्रीमती आयचुकी बनाम जेठाराम के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09 दिसंबर 2019 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18 सितंबर 2020 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को प्रस्तुत की है।

दोनो अपीलो की विषय-वस्तु, पक्षकारान् एवं प्रकृति समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक पत्रावली एक-एक निर्णय प्रति रखी जावे।

अपीलांट द्वारा अपील संख्या 115/2020 में प्रार्थना पत्र वास्ते अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने बाबत प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा अपील संख्या 114/2020 में एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या दो द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 490 रकबा 02 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नं. 491 रकबा 70 बीघा किस्म बारानी प्रथम ग्राम बड़ला नगर तहसील लूणी के संबंध में अन्य रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09 दिसंबर 2019 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18 सितंबर 2020 के जरिये वादीनी/रेस्पो. का वाद स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश व प्राथमिक डिक्री में स्व. कालूराम पुत्र श्री राणाराम के चार पुत्रों को ही वारिसान् मानते हुए प्राथमिक डिक्री उक्त चारो पुत्रो के पक्ष में वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/4-1/4 हिस्सा मानते हुए खातेदार घोषित करने का आदेश पारित किया तथा अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित होने के पश्चात स्व. कालूराम जी के तीन पुत्रीयों लेहरीदेवी, टिपूदेवी व तुलछीदेवी जीवित होने तथा उनका वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/7-1/7-1/7 यानि पुत्रीयों का कुल 3/7 हिस्सा होना तथा उसकी खातेदारी नामांतरकरण संख्या 147 दिनांक 06.03.2020 के जरिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने तथा उसके पश्चात हकतर्कनामा के आधार पर लेहरीदेवी, टिपूदेवी व तुलछीदेवी का 3/7 हिस्सा अपीलार्थी के पक्ष में हकतर्क हो जाने से नामांतरकरण संख्या 150 दिनांक 17.03.2020 को कालूराम जी की उक्त पुत्रीयों द्वारा उक्त कृषि भूमि में अपना हक अपीलांट के पक्ष में हकतर्क कर देने से उक्त 3/7 हिस्सा अपीलांट के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज हो जाने के तथ्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 के मार्फत प्रस्तुत करते हुए प्राथमिक डिक्री को निरस्त करने व मंगवाये गये प्रस्ताव को नये सिरे से मंगवाने का निवेदन किया, परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकर्ड में कालूराम जी के पुत्रीयों के दर्ज हिस्से को व पुत्रीयों के वादग्रस्त भूमि में अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के पक्ष में हकतर्कनामा के द्वारा दर्ज खातेदारी को दरकिनार करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अंतिम डिक्री भी जारी कर दी, जिससे अपीलार्थी को धारा 151, 152 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आदेश के विरुद्ध चाराजोही करने का भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयां निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष नामांतरकरण संख्या 150 एवं 147 की सबूत के तौर पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा गौर किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर अंतिम डिक्री जारी कर दी। अपीलांट नामांतरकरण संख्या 150 के जरिये वादग्रस्त आराजी का खातेदार हो चुका है तथा अपीलार्थी के नाम वादग्रस्त भूमि के 3/7 हिस्से में भी अमल दरामद हो चुका है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अघतन राजस्व रेकर्ड पर गौर किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर अंतिम डिक्री जारी कर दी।

प्रार्थना पत्र वास्ते अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने बाबत पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 स्व. जेठाराम की फौतेदगी पर उनके वारिसान् अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 1/3 के तौर पर वाद में पक्षकार के रूप में न्यायालय आदेश से जोड़ा गया था, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित करते समय अपीलांट का नाम दर्ज नही कर स्व. जेठाराम का नाम ही दर्ज किया गया। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का रेकर्ड सहखातेदार है। इसलिए न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर वकील अपीलांट के कथन है कि निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09 दिसंबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2019 पारित हो जाने के पश्चात दिनांक 06 मार्च 2020 को श्रीमान अपर जिला कलक्टर जोधपुर के म्यूटेशन अपील संख्या 30/2017 में पारित म्यूटेशन आदेश दिनांक 21.08.2018 की अनुपालना में में स्व. कालूराम जी की पुत्रीयों लहरीदेवी, टिपूदेवी व तुलछीदेवी के नाम खातेदारी में दर्ज करने तथा उनके द्वारा अपीलांट के पक्ष में हकतर्क किये जाने से म्यूटेशन संख्या 150 दिनांक 17.03.2020 दर्ज किया गया। उसके पश्चात दिनांक 22.03.2020 को समस्त राजस्थान में कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के मध्यनजर अपीलांट अपने अधिवक्ता से नहीं मिल पाया तथा म्यूटेशन संख्या 150 के अधिकारों के बारे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही नहीं कर पाया, परन्तु जैसे ही कोरोना महामारी का प्रभाव थोड़ा कम हुआ अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से मिलकर विचारण न्यायालय में कार्यवाही की गई, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया, जिस पर अपीलांट द्वारा बिना किसी देरी निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की नकल दिनांक 08.10.2020 को प्राप्त कर हस्तगत अपील प्रस्तुत की, उक्त देरी का उचित व माकूल कारण रहा है, जिसे माफ किया जाना न्यायोचित है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वास्ते अपील प्रस्तुत करने बाबत स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 115/2020 की अनुमति प्रदान करावे तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 114/2020 प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा दोनो अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 84/2016 श्रीमती आयचुकी बनाम जेठाराम के कायम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09 दिसंबर 2019 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18 सितंबर 2020 को खारिज फरमाया जावे तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार स्व. कालूराम जी के प्रत्येक पुत्र व पुत्री का 1/7 हिस्सा मानते हुए हकतर्कनामा अनुसार वादग्रस्त भूमि में अपीलांट को 3/7 हिस्से का तथा पुश्तैनी 1/35 का भी अतिरिक्त खातेदार घोषित करने का आदेश फरमावे।

विद्वान अधिवक्तागण रेस्पो. चार व पांच ने नो इंस्ट्रशन प्लीड किया तथा रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने वकालतनामा नहीं होने से बहस में भाग नहीं लिया।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गयङ्गं सर्वप्रथम अपील संख्या 115/2020 मं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09 दिसंबर 2019 में अपीलांट को बतौर पक्षकार सम्मिलित किया है, किंतु निर्णय एवं डिक्री में अपीलांट को पक्षकार के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है, जो लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड सहखातेदार होने से न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट का अपील संख्या 115/2020 प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां अपीलांट द्वारा अपील संख्या 114/2020 प्रस्तुत करने में हुई देरी का प्रश्न है। अपर जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा द्वारा म्यूटेशन अपील संख्या 30/2017 पारित आदेश दिनांक 21.08.2018 की क्रियान्विति तथा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित हकतर्कनामा की पालना में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नामांतरकरण की कार्यवाही मे लगे समय तथा उसके पश्चात कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते लागू लॉकडाउन के कारण अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में लगे समय का लाजमी कारण पाया जाता है। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 114/2020 को प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना पाया जाता है, जिसके अनुसार अपीलांट के पिता का वादग्रस्त आराजी में 1/4 निहित है। न्यायालय अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 30/2017 में दिनांक 21.08.2018 को आदेश पारित कर विरासतन् नामांतरकरण संख्या 1026 दिनांक 11.06.1992 को निरस्त कर स्व. कालूराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान् की जांच कर नियमानुसार नामांतरकरण की कर्यावाही का आदेश दिया जाना पाया जाता है। उक्त आदेश की पालना में नामांतरकरण संख्या 147 दिनांक 05.03.2020 के द्वारा स्व. कालूराम का विरासतन् का नवीन नामांतरकरण भरा गया तथा स्व. कालूराम की तीनो पुत्रियों द्वारा 07.03.2020 को वादग्रस्त भूमि में अपने 3/7 हिस्से को अपीलांट के पक्ष में हकतर्क कर देने से अपीलांट के पक्ष में हकतर्क नामांतरकरण संख्या 150 दिनांक 17.03.2020 भरा जाना पाया जाता है। राजस्व रेकर्ड में उक्त इन्द्राजात के पश्चात अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 एवं 152 सीपीसी प्रस्तुत कर वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अभिलेख का अवलोकन किये बिना ही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 84/2016 श्रीमती आयचुकी बनाम जेठाराम के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09 दिसंबर 2019 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18 सितंबर 2020 अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की दोनो अपीले स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09 दिसंबर 2019 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18 सितंबर 2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.01.2023

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर